MJCR- 1868/26

//आदेश–पत्रिका//

27/04/26

इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 442/2019 अंतर्गत धारा 249, 323, 506, 34 भा.द.सं. के तहत् आरक्षीकेन्द्र पलासिया विरूद्ध लवकुश एवं चन्द्रकांत में **अभियुक्त 01. लवकुश पिता अमर सिंह बिलाल निवासी चिटनीश का पुर्वालालाराम नगर इंदौर 02. चन्द्रकांत उर्फ रवि पिता किशोर बारसे निवासी 40, चिटनिश का पूर्वा लालाराम नगर इन्दौर** के द्वारा दिनांक 14.03.2024 को बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया गया एवं उक्त पेशी दिनांक को न्यायालय में अनुपस्थित होने के कारण उसके जमानत व बंधपत्र निरस्त कर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त से 15,000/–रूपये मुचलका राशि की वसूली की जावे।

न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.03.2025 के क्रम में अभियुक्त को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये कि क्यों न अभियुक्त से उक्त मुचलके की राशि वसूली की जाये।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(श्रीमती रूपम तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इंदौर (म.प्र.)

पुनश्चः–

विविध आपराधिक प्रकरण सी.आई.एस. साफ्टवेयर में एम.जे.सी.आर. क्रमांक.................. पर दर्ज है।

अभियुक्त को उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रदान की गयी।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने से उसके द्वारा बताये गये कारण के संबंध में कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसके द्वारा व्यक्त किया गया कि उसने न्यायालय में गलत पेशी तारीख नोट कर ली थी एवं वह उसके अभिभाषक से संपर्क नहीं कर पाया। अतः उस पर कम से कम शास्ति अधिरोपित की जावे।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत अभियुक्त की अनुपस्थिति का कारण सद्भाविक होने से एवं अभियुक्त के स्वास्थ्य एवं उसकी आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त के मुचलके की संपूर्ण राशि जप्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के बंधपत्र में से 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) शास्ति स्वरूप वसूल कर शेष राशि माफ की जाती है।

विविध कार्यवाही समाप्त।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

(श्रीमती रूपम तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इंदौर (म.प्र.)

<u>पुनश्चः—</u>

आदेशानुसार **अभियुक्त 01. लवकुश पिता अमर सिंह बिलाल निवासी चिटनीश का पुर्वालालाराम नगर इंदौर 02. चन्द्रकांत उर्फ रवि पिता किशोर बारसे निवासी 40, चिटनिश का पूर्वा लालाराम नगर इन्दौर** द्वारा 1,000—1000/— कुल 2000 रूपए की मुचलका जप्ती चालान क्रं. **051/9999999/0070/04/26/030768 एवं 030758** दिनांक 27.4.2026के माध्यम से अदा की गई।

(श्रीमती रूपम तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला इंदौर (म.प्र.)